करनी है । फिर जितना यहां से सम्भव हो सकेगा, हम वह कर ही रहे हैं और यहां से मदद देते हैं । इसलिए ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास कोई मापदण्ड ही नहीं है । जरूरत के अनुसार सहायता हमने पहुंचाई है । लेकिन यह सब क्षति पर निभर करता है कि वहां किस तरह की क्षति होती है । यदि ज्यादा क्षति होती है तो हम ज्यादा सहायता देंगे , यदि कम होती है तो कम मदद करेंगे । लेकिन इसके लिए कोई स्टैण्डर्ड मापदण्ड बनाना बड़ा मुश्किल है । हमने राज्य सरकार को यह भी कह रखा है कि वह वहां यह निश्चित करे कि उसे कितनी इमदाद की और आवश्यकता है और जितना हमसे सम्भव होगा, हम देते हैं ।

दूसरा प्रश्न आपका है कि क्या वहां पर कोई मंत्री जाएंगे । मैंने आपको बताया कि किस प्रकार हमारे लोग समय पर वहां जाते रहते हैं । जरूरत पड़ेगी तो हम भी वहां जाएंगे, वैसे आन्ध्र प्रदेश के मंत्री और मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हुए हैं । फिर यह साइक्लोन 70 किलोमीटर प्रति घण्टे की रफ्तार से आया । जब पहले ही वहां पर चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर मौजूद हैं तो फिर हमारा जाने का कोई फ़ायदा नहीं है । तामिलनाडु से भी वहां पर चीफ मिनिस्टर ने आना था, लेकिन उनका जाना साइक्लोन की वजह से रूक गया । जहां ज्यादा नुकसान हुआ है वहां एक क्षेत्र रायलसीमा का है, जहां काफ़ी समय से सूखा पड़ा आ रहा था, वह सूखा प्रभावित क्षेत्र था, इसी प्रकार तंजाबूर हमारे तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां भी इस तूफ़ान आने के कारण बारिश हुई और सूखे से राहत मिली है । वहां पर भी एक इंच बारिश रिकार्ड हुई है । इसलिए जहां एक ओर इस तूफ़ान से नुकसान हुआ है, वहीं दूसरी ओर कुछ फायदा भी हुआ है । फिर, जैसा हमने कहा, और इन्फार्मेशन भी हम एकत्र कर रहे

हैं, हमारी 34-35 टीमें वहां पहले से सर्वे का काम कर रही हैं । यदि किसी और इमदाद की जरूरत होगी, तो वह प्रबन्ध भी हम करेंगे ।

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: Mr. Deputy-Speaker, Sir...

MR. DEPUTY-SPEAKER: Your name is not there; please sit down.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: I am told that Shri Salve will make a statement in Rajya Sabha at 2.00 P.M.

13.18 hrs.

STATEMENT *RE.* PRODUCTIVITY LINKED BONUS FOR EMPLOYEES OF GOVERNMENT OF INDIA PRESSES

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): Mr. Speaker, Sir, I wish to make a brief statement regarding the decision taken by Government about grant of productivity linked bonus to the employees of the Government of India Presses and branches of the Directorate of Printing under the Ministry of Works and Housing.

The scheme of productivity linked bonus, presently applicable to the Railways and Posts & Telegraph employees, has been extended to about 15000 employees of the Government of India Presses and branches of the Directorate of Printing under the Ministry of works and Housing. These employees have also been allowed 15 days salary/wages as productivity linked bonus on an *ad hoc* basis for the year 1980-81.

The eligibility criteria for bonus will cover all employees of the Government of India Presses and branches of the Directorate of Printing, borne on regular establishment and drawing upto Rs. 1600 per month as basic pay and dearness allowance. In case of officials, drawing more than Rs. 750 but less than Rs. 1600 per month *ad hoc* bonus will be calculated only on the basis of Rs. 750 per month.